पत्रांक-बाढ़(मो0)सिं0-66/2015-अंश-II

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

ई0 ब्रजेश मोहन,
अभियंता प्रमुख, मुख्यालय
जल संसाधन विभाग, पटना ।

फैक्स/ ई-मेल

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता,
बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण,
जल संसाधन विभाग, पटना ।

पटना, दिनांक

विषयः- ***नालंदा जिलान्तर्गत जिराईन नदी में बालू घाट कलस्टर-05 (जिराईन-1, जिराईन-2 एवं जिराईन-3) से बालू लदे वाहनों के परिचालन हेतु नदी में रास्ता बनाने हेतु अनुमति/ अनापत्ति प्रदान करने के संबंध में ।***

प्रसंगः- ***आपका पत्रांक-165 दिनांक-12.01.2026***

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि परिक्षेत्राधीन बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण प्रमंडल, बिहारशरीफ के अधीन नालंदा जिलान्तर्गत जिराईन नदी में बालू घाट कलस्टर-05 अन्तर्गत विभिन्न स्थलों यथा जिराईन-01 एवं जिराईन-02 (ग्राम-गोविन्दपुर के समीप) तथा जिराईन-03 (ग्राम-दरियापुर के समीप) से बालू लदे वाहनों के परिचालन हेतु नदी में रास्ता बनाने के लिए वस्तुस्थिति की समीक्षोपरान्त स्थल की स्थिति के अनुरूप निम्नांकित शर्तो के साथ विशेष परिस्थिति में, जिससे कि नदी के जलप्रवाह/तटबंधों/संरचनाओं/Morphological behavior पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, को दृष्टिगत रखते हुए नियमानुसार अनापत्ति प्रमाण-पत्र (दिनांक-31.05.2026 तक के लिए) निर्गत करने हेतु मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, पटना को प्राधिकृत किया जाता है:-

1. नदी भाग एवं कंट्री भाग में वाहनों के नदी तट पर चढ़ने एवं उतरने हेतु दोनों तरफ रैम्प का निर्माण करना होगा, जो खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा स्वयं के व्यय से किया जायेगा ।
2. रैम्प एवं नदी तट के किनारे को क्षरण से बचाने के लिए नियमित रूप से सम्पोषण की जिम्मेवारी खान एवं भूतत्व विभाग की होगी ।
3. खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा स्वयं के व्यय पर जमींदारी बांध से बालू घाट तक आने-जाने का मार्ग बनाया जायेगा । इस रास्ते पर नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जाना आवश्यक होगा, ताकि वाहनों के परिचालन से उड़ने वाले बालू को नियंत्रित रखा जा सके । उक्त कार्यो को खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा स्वयं के व्यय पर कराया जायेगा ।
4. बालू परिवहन हेतु प्रयुक्त वाहनों को तिरपाल से ढ़का हुआ होना चाहिए, ताकि बालू के कारण वायु प्रदूषण न हो ।
5. बाढ़ अवधि में वाहनों का परिचालन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा । बाढ़ अवधि के पूर्व इन संरचनाओं को खान एवं भूतत्व विभाग के द्वारा नदी के बेड से हटाया जाना बाध्यकारी होगा ।
6. नदी तट के किसी भी भाग पर आवेदक का स्वामित्व नहीं होगा ।

7. उक्त कार्य से जल संसाधन विभाग का स्वामित्व प्रभावित नहीं होगा ।
8. जल संसाधन विभाग को आवश्यकता पड़ने पर किसी भी समय बिना कारण बताए विषयांकित कार्य हेतु निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस लेने का अधिकार सुरक्षित रहेगा ।
9. संरचनाएँ बिल्कुल अस्थायी एवं निजी प्रयोग के लिए है, इसलिए इसकी स्थायित्व एवं मजबूती की संम्पूर्ण जिम्मेवारी खान एवं भूतत्व विभाग की होगी ।
10. संवेदक को इस स्थायी संरचना के दोनों ओर एक-एक बोर्ड लगाना होगा, जिसपर अंकित करना होगा कि:- "यह अस्थायी संरचना आम लोगो के लिए वर्जित है"।
11. जल संसाधन विभाग द्वारा इस संबंध में समय-समय पर दिये गये दिशा-निर्देश का अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा ।
12. अस्थायी संरचना के निर्माण से नदी के बहाव में किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न नहीं किया जाय एवं इसे अविरल रखा जाय । इसके लिए नियमित रूप से साफ-सफाई की व्यवस्था कराने की जिम्मेवारी खान एवं भूतत्व विभाग की होगी ।
13. कार्य समाप्ति के बाद स्थल पर बचे सभी प्रकार के अवशेष सामग्रियों को पूर्ण रूप से हटा लिया जाय ।
14. नदी के Morphology को अक्षुण्ण रखा जाय ।
15. किसी भी अप्रिय घटना के लिए खान एवं भूतत्व विभाग जिम्मेवार होगा ।
16. आपात परिस्थिति में विभागीय पदाधिकारियों के निदेश पर तत्काल अस्थायी संरचना/अवरोध को खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा हटाना होगा ।
17. संरचना निर्माण के दौरान बांध एवं इसपर निर्मित संरचनाओं आदि को किसी प्रकार की क्षति न हो। क्षति होने पर इसकी मरम्मति की सारी जबावदेही खान एवं भूतत्व विभाग की होगी एवं खान एवं भूतत्व विभाग अपने व्यय से क्षतिग्रस्त भाग का सुदृढ़ीकरण/मरम्मति करने के लिए बाध्य होगा ।
18. एन0एस0एल0 एवं किनारों को किसी भी हाल में Disturb नहीं किया जाय ।
19. जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-1/पी0एम0सी0/विविध/161/2023-205 दिनांक-20.03.2023 में निहित निदेश के अनुपालन निमित्त CBuD APP (Call before U dig) का उपयोग करना अनिवार्य होगा ।
20. यह अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिनांक-31.05.2026 तक प्रभावी रहेगा ।
21. उपर्युक्त शर्तो का अनुपालन नहीं करने पर निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र रद्द करते हुए विभाग द्वारा दण्डात्मक कार्रवाई की जायेगी ।

विश्वासभाजन

ह0/-

(ब्रजेश मोहन)

अभियंता प्रमुख, मुख्यालय

पत्रांकः- बाढ़(मो0)सिं0-66/2015-अंश-II 453 दिनांकः- 30-01-2026

प्रतिलिपिः- कार्यपालक अभियंता, आई0टी0, जल संसाधन विभाग, पटना को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशित करने हेतु प्रेषित ।

(ब्रजेश मोहन) 1/1/26

अभियंता प्रमुख, मुख्यालय

En-in-ch., Patna new

आई0टी0